कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 11/2024 **दिनांक 06/12/2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 05.12.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद लोहे की हथौडी बरामद किया गया।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 644/2024 धारा 103(1) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित घटना मे संलिप्त अभियुक्त करन कुमार बिन्द पुत्र स्व0 धर्मदेव बिन्द निवासी ग्राम बरहनिया (मिश्रवलिया) थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 22 वर्ष को आज दिनांक 05.12.2024 को प्रभारी निरीक्षक दीन दयाल पाण्डेय मय हमराह रेलवे स्टेशन पूर्वी छोर गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से आलाकत्ल बरामद किया गया। गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ--- अभियुक्त करन कुमार बिन्द उपरोक्त से घटना के बारे मे पूछताछ किया गया तो बताया कि मुझसे बहुत बड़ी गलता हो गयी। मैं सटरिंग का काम करता हूं तथा साथ में ही काम करने वाले अपने ही ग्राम सभा के पचंवटिया के रहने वाले लड़के विशाल बिन्द पुत्र जितेन्द्र बिन्द की दिनांक 28.11.2024 को दोपहर में फुल्लनपुर काली नगर कॉलोनी श्यामदेव बिन्द के डेरे में पहले उसके सिर में हथौड़ी मार कर हत्या करने के बाद बगल में रखी चारपाई में से लोहे की ब्लेड से रस्सी काटकर उसी रस्सी के फंदे से छत के छल्ले में बांध कर विशाल बिन्द को लटका दिया जिससे किसी को शक न हो कि उसकी हत्या हुई है। उसके बाद मैं वहां से चल गया और बाद आकर लोगों को विशाल बिन्द को फाँसी लगाकर कर आत्म हत्या करने की सूचना दिया था।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम पता

1 . करन कुमार बिन्द पुत्र स्व0 धर्मदेव बिन्द निवासी ग्राम बरहनिया(मिश्रवलिया) थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी

1 .आला कत्ल लोहे का हथौडा।

आपराधिक इतिहास

1 . मु0अ0सं0 644/2024 धारा 103(1) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली गाजीपुर।

2 . मु0अ0सं0 422/2022 धारा 323,504,506 भादवि थाना कोतवाली गाजीपुर।

02. थाना बरेसर पुलिस टीम द्वारामु0अ0सं0 162/2024 धारा 196, 299 बीएनएस व 3/5 (1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

* अपराध एव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 05.12.2024 को उप0 नि0 मो0 रुस्तम खान थाना बरेसर जनपद गाजीपुर मय हमराह द्वारा थाना बरेसर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 162/2024 धारा 196, 299 बीएनएस व 3/5 (1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्मसंपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 से सम्बन्धित अभियुक्ता रमावती देवी पत्नी बब्बन राम को ग्राम शक्कापुर थाना बरेसर गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्ता के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता

1 . रमावती देवी पत्नी बब्बन राम ग्राम शक्कापुर थाना बरेसर गाजीपुर

अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास

1 मु0अ0सं0 162/2024 धारा 196, 299 बीएनएस व 3/5 (1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्मसंपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021

03. थाना खानपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 240/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/308(5)-115(2)/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 03 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से 01 अदद देशी तमन्चा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक अदद नाजायज तेज धारदार चाकू बरामद।

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 05.12.2024 को उ0 नि0 कमल भूषण राय मय टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० मु0अ0सं0 240/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/308(5)- 115(2)/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित नामित अभियुक्तगणों को मुखबिर खास की सूचना पर तेलियानी सड़क पुल के नीचे बने पगडंडी रास्ते से तीन नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से 01 अदद देशी तमन्चा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद नाजायज तेज धारदार चाकू व अन्य नाजायज सामग्री बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. आशीष कुमार पुत्र बालकिशुन राम निवासी ग्राम अम्बा थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 20 वर्ष

2. रतन कुमार पुत्र स्व० मदन राम निवासी ग्राम अम्बा थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष

3. राहुल कुमार पुत्र सियाराम निवासी ग्राम अलिमापुर थाना खानपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी-

1. एक अदद देशी तमन्चा 315 बोर

2 . एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

3. एक अदद नाजायज तेज धारदार चाकू

4. एक अदद सादा कागज जिसपर जबरजस्ती मुकदमा उपरोक्त के वादी से हस्ताक्षर कराया जाना बताया जा रहा है।

अपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0सं0 240/2024 धारा 191 (2) /191(3)/190/109(1)/308(5)/115(2)/351(3) बीएनएस व 3/25 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खानपुर जनपद गाजीपुर।

<u>04. जनसुनवाई (IGRS) पोर्टल पर प्राप्त जन - शिकायतों का त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने में जनपद गाजीपुर को प्रदेश में प्रथम रैंक हासिल करने की उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।</u>

शासन की मंशा के अनुरूप जनसुनवाई (IGRS) पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों की त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराये जाने के क्रम में जनपद गाजीपुर के प्रभारी आईजीआरएस व समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के द्वारा जनसुनवाई (IGRS) पोर्टल पर प्राप्त जनशिकायतों का त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया, जिसके उपरान्त जनपद गाजीपुर को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। जनपद के कुल- 27 थानों में से 24 थाने भी माह नवंबर 2024 के मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किये हैं।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर